इलाहाबाद. बिजली विभाग में तकनीशियन ग्रेड -टू की परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। परीक्षा 26 जून को आयोजित होनी है। परीक्षा का आयोजन कर रहे विद्युत सेवा आयोग को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह परीक्षा करा ले मगर परिणाम जारी न किया जाए। सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने दिया है। याचिका पर बारह जुलाई को सुनवाई होगी।

याची के अधिवक्ता का कहना है कि तकनीशियनग्रेड-2 के 623 पदों पर भर्ती के लिए दिसम्बर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया। अर्हता इंटरमीडिएट और आईटीआई में डिप्लोमा तथा ट्रिपल सी, ओ., बी. या सी लेबल कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य था। यह सर्टिफिकेट डोएक संस्था कराती है। अभ्यर्थियों ने पद के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन कर दिया।

28 अप्रैल 2016 को आयोग ने अर्हता बदल दी। नए नियम में ओ लेबल का सर्टिफिकेट की जगह लिखित परीक्षा कर दी गयी। तय किया गया कि 50 प्रश्न पूछे जायेंगे। कम्प्यूटर परीक्षा में सफल होने के बाद ही आगे की कापियां जांची जायेंगी। आयोग ने तीन मई 2016 को नया विज्ञापन जारी कर दिया। याची का कहना था कि विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन मंगा लिये गये तो परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी। इसके बाद बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है। कोर्ट ने परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।